आयकर अपीलीय अधिकरण
इंदौर (एक सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 462 /इंदौर/ 2018
निर्धारण वर्ष : 2006-07

श्री राजेन्द्र कुमार जैन, इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त रेंज-3, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीवीपीजे 1085 जी		

अपीलार्थी की ओर से :	सुश्री शालिनी मेहता, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आर.एस.अंबेडकर, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि :	14.11.2018
उद्घोषणा तिथि :	16.11.2018

आदेश

निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 23.01.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. यह अपील 05 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती की उम्र 71 वर्ष है तथा वह तीर्थयात्रा पर होने के कारण शहर से बाहर था । इस वजह से समय पर अपील दस्तावेजों में उसके हस्ताक्षर नहीं हो पाने के कारण अपील दाखिल करने में 05 दिनों का विलंब हुआ । उसने इस निवेदन के

समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने तथा अपील को गुणागुण पर सुनने का अनुरोध किया ।

3. मैंने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है तथा अपील को गुणागुण पर सुनवाई हेतु लिया जाता है । सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । अतः यह अनुरोध किया गया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को इस संबंध में निदेश दिए जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

4. मैंने दोनो पक्षों को सुना है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । मैंने पाया कि आक्षेपित आदेश निर्धारिती की अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाने के लिए दिए गए कारण स्वीकार्य हैं । वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, मैं विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करता हूँ तथा अपील के फार्म सं. 35 को निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में पुनर्स्थापित करता हूँ । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) इस अपील का शीघ्र निपटान करेंगे तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में अपीलीय कार्यवाही में सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 16.11.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(कुल भारत)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 16.11.2018

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल